Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.07.2022	न्यायालयः अवर न्यायाधीश, अरेराज पूर्वी चम्पारण। <u>स्वत्व वाद संख्या 35/10</u> अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 05.07.19 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दी गयी। वादी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि उसने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध खाता संख्या 175 खेसरा न0 1018 रकवा तीन कठ्ठा छः धुर साढ़े तेरह धुरकी का महादनामा दिनांक 21.07.2006 के आधार पर दायर किया है। प्रस्तुत मुकदमा साक्ष्य में चल रहा है इसी बीच प्रतिवादी विवादित जमीन पर ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ आदि इक्ठ्ठा कर निर्माण करना चाहता है। वादी द्वारा निर्माण रोकने के लिए स्थानीय थाना व अनुमंडल आरक्षी उपाधीक्षक के यहां आवेदन दिया परंतु कोई कार्रवाई न होने पर उसने अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह आवेदन दायर किया है। यदि प्रतिवादी विवादित जमीन पर निर्माण करने में सफल हो जाते हैं तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादी को विवादित जमीन का स्वरूप बदलने तथा किसी प्रकार का निर्माण करने से रोक दिया जाए। प्रतिवादी ने प्रतिउत्तर दाखिल कर वादी के उक्त आवेदन का विरोध किया तथा न्यायालय से निवेदन किया कि आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए। प्रतिवादी का कथन है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है, वादी ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वाद दायर किया है तथा वर्णन किया है कि विवादित जमीन के निश्वत प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में एक विक्रय–विलेख निष्पादित करने के लिए एक सहमति पत्र दिनांक 21.07.06 को निष्पादित किया तथा अग्रिम राशि लेकर प्रतिवादी ने प्रश्नगत सहमति पत्र विलेख निष्पादित किया। प्रतिवादी का यह कथन है कि उपरोक्त विलेख के आधार पर वादी को विवादित जमीन पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है और न विधि के अनुसार हो सकता है। प्रतिवादी का कथन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने के लिए वादी के पक्ष में न	

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	contd.....	तो प्रथम दृष्टया मामला है, न ही उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। प्रतिवादी ने आगे कथन किया है कि प्रश्नगत सहमति पत्र विलेख तीन कठ्ठा छः धुर साढ़े तेरह धुरकी के निश्वत है जबकि प्रतिवादी को अपने भाई से मिला भाग 00.04.00 भूखंड है वो शेष भाग वादी के प्रश्नगत विलेख से बाहर है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा दायर अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन प्रतिवादी को परेशान करने के लिए दाखिल किया गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन कानूनन तथा तथ्यात्मक रूप से चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाए। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दाखिल किया गया यह स्वत्व वाद, प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 21.07.06 को किये गये महादनामा के आधार पर दायर किया गया है। वादी ने वाद पत्र के पैरा 10 में अनुतोष की मांग करते हुए न्यायालय से निवेदन किया है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जाए कि शेष राशि लेकर वह वादी के पक्ष में विक्रय–विलेख निष्पादित करे अथवा पचास हजार रुपया पर अठारह परसेंट ब्याज के साथ उसके पक्ष में डिक्री पारित किया जाए। वाद पत्र तथा प्रतिवादी द्वारा दाखिल उत्तर पत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित जमीन पर प्रतिवादी का दखल कब्जा है। विधि के अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में लिखे गये महादनामा के आधार पर वादी को विवादित जमीन में स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि प्रतिवादी द्वारा महादनामा के आलोक में विक्रय–विलेख निष्पादित न कर दिया जाए। **प्रेमजी रतनसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** में *माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।* **पढियार प्रहलादजी चेनाजी बनाम मनीबेन जगमलभाई (सिविल अपील न0 1382/2022)** के वाद में माननीय	

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	contd.....	सर्वोच्च ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वास्तविक स्वामी के विरुद्ध उस स्थिति में निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है जब निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने का आवेदन देने वाला व्यक्ति संपत्ति पर विधितः काबिज हो और उसका उपभोग कर रहा हो और विधितः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो तथा जिसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय कब्जा से हटाया नहीं जा सकता हो। प्रस्तुत वाद में वादी ने संपत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है तथा विवादित संपत्ति पर उसका विधितः कब्जा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है साथ ही निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकृत न करने पर वादी को कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना भी नहीं है क्योंकि वाद पत्र में उसके द्वारा वैकल्पिक अनुतोष के रूप में पचास हजार रुपया पर अठारह परसेंट ब्याज के साथ उसके पक्ष में डिक्री पारित करने की मांग की गयी है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि अनुतोष न देने से होने वाली क्षति का भुगतान वादी को रूपया (राशि) के रूप में प्रदान किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 05.07.19 को खारिज करते हुए निष्पादित किया जाता है तथा दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वाद को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु तत्पर रहें। दिनांक .....अग्र कार्यवाही हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश	